

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....
.....
किसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 108/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21-3-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सूर्यप्रकाश तेली</u></p> <p>पिता श्री <u>नानालाल लोनी</u></p> <p>निवासी <u>धनेरकला (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>धनेरकलां</u> (चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....</p> <p><u>खारा स. 422 व 421 में वर्णित आराजी</u></p> <p>कुल कीता <u>2+1 = 3</u> कुल रकबा <u>0.55</u> हे० की परचालना करायें जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी के नम्बर रिकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धनेरकलां (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>खारा स. 422 व 421 में वर्णित आराजी</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.55</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दरखलनाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगुडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगुडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1.000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>

(धीन देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)